तारीख हुक्म

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रकरण [illegible] सिविल जज

उनवान: रविन्द्र बनाम अनुराग

03/09/21

Dinesh Yadav
Advocate

पक्षकार उपस्थित। पक्षकार द्वारा निवेदन किया कि P.O. की समाप्ति से पूर्व ही अपने पक्ष की अभिलेखित किया। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रारम्भ प्रभावहीन हो चुकी है अतः प्रस्तुत पत्र प्रभावहीन होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रारम्भ खारिज किया जाता है पक्षगण मौखिक सुलह होकर वाद निकाल दिया जाता है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)